Jansatta Edition Delhi
28.1.2017 Page 10
Height 18.34cm Width 15.40 cm

आधार भुगतान सेवा जल्द : रविशंकर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जनवरी।

सरकार जल्द ही आधार भुगतान सेवा शुरू करेगी। इसके जरिए लोग अपनी आधार संख्या और बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर धन का लेनदेन कर सकेंगे। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि हम आधार भुगतान शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ लोगों को भुगतान के लिए अपना फोन ढोने की आवश्यकता नहीं होगी। वे किसी भी दुकान में जाकर अपनी आधार संख्या साझा कर सकते हैं और भुगतान करने या धन प्राप्त करने के लिए खुद के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं।

प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि आधार भुगतान के लिए 14 बैंक साथ आए हैं और जल्दी ही सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि हम अन्य बैंकों के साथ भी बात कर रहे हैं। जल्दी ही सेवा शुरू की जाएगी। सूत्रों के अनुसार कुछ बैंकों ने अपने एप्लीकेशन को विकसित कर लिया है और आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआइ) का उपयोग कर त्वरित भुगतान के लिए भारत इंटरफेस फार मनी (भीम) को भी आधार युक्त भुगतान प्रणाली से एकीकृत किया गया है। देश में 111 करोड़ लोगों के पास आधार संख्या है। लोग अक्सर निजता के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हैं लेकिन आधार कानून लोगों की निजता का सम्मान करता है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पिछली सरकार ने आधार शुरू किया लेकिन उस समय यह नागरिकों के लिए केवल डिजिटल पहचान के रूप में था। नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के उठाए गए विभिन्न कदमों से यह वित्तीय और भविष्य रूपांतरण के लिए शक्तिशाली जरिया बन गया है। देश में 49 करोड़ बैंक खाते आधार से जुड़े हैं। हर महीने दो करोड़ खातों को आधार से जोड़ा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि आधार भुगतान युक्त प्रणाली पहले से काम कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में 33 करोड़ लेनदेन किए गए हैं। लेनदेन के लिए आधार के उपयोग से वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 में 36,144 करोड़ रुपए की बचत हुई है।